आज़ादी का अमृत महोत्सव	भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग विकास आयुक्त का कार्यालय नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र नौएडा दादरी रोड, फेज-II, नौएडा-201305, जिला गौतम बुद्ध नगर. Government of India, Min. of Commerce & Industry, Deptt. of Commerce, Office of the Development Commissioner NOIDA SPECIAL ECONOMIC ZONE Noida Dadri Road, Phase-II, NOIDA-201305, Distt. Gautam Budh Nagar (UP)

फ़ा० स० 12-38/2012-100%ईओयू/8914 22/10/2024 दिनांक: 21.10.2024

सेवा में

1. श्रीमान प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, निवारक कार्यालय आयुक्त सीमा शुल्क, जोधपुर 'सी' स्कीम, जयपुर 302005।
2. श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक, क्षेत्रीय विदेश व्यापार निदेशालय, सेंट्रल लाइसेंसिंग एरिया(CLA), ITO, नई दिल्ली.

विषय: दिनांक **15.10.2024** को पूर्वाह्न **10.00** बजे आयोजित होने वाली 100% निर्यातोन्मुख स्कीम के लिए यूनिट अनुमोदन समिति की चतुर्थ मीटिंग (2024 सीरीज) का कार्यवृत – एतद् संबंधी.

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय का सन्दर्भ लेने और 100%निर्यातोन्मुख स्कीम के लिए यूनिट अनुमोदन समिति की वर्ष 2024 के लिए चतुर्थ बैठक जो कि श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक **15.10.2024** को पूर्वाह्न **10.00** ऑनलाइन संपत्र हुई, का कार्यवृत संलग्न करने का निदेश हुआ हैं

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित |

भवदीय,

संलग्नक: यथोक्त.

मोहन

(मोहन वीर रूहेला)
सहायक विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. विकास आयुक्त के विशेष कार्याधिकारी- विकास आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।
2. संयुक्त विकास आयुक्त के वैयक्तिक सहायक – संयुक्त विकास आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।
3. उप विकास आयुक्त (EOU) महोदय के सूचनार्थ।|

मोहन

सहायक विकास आयुक्त

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

दिनांक 15.10.2024 को सुबह 10.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री ए बिपिन मेनन, क्षेत्रीय विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में आयोजित 100% निर्यात उन्मुख इकाइयों (EOU) के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का विवरण।

बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुग्रीव मीना, प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क, जयपुर।
2. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)
3. श्री जगदीश चंदर, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), अतिरिक्त डीजीएफटी कार्यालय, केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली।

इसके अलावा, अनुमोदन समिति की बैठक के दौरान एनएसईजेड के उप विकास आयुक्त श्री ग्या प्रसाद ने अनुमोदन समिति की सहायता के लिए कहा कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद क्रमवार कार्यसूची पर विचार किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ जहां भी आवश्यक हो, आवेदकों/इकाइयों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

1. दिनांक 07.10.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-

समिति को सूचित किया गया कि 07.10.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था। अतः दिनांक 07.10.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

2 मेसर्स वैभव ग्लोबल लिमिटेड के कानूनी उपक्रम (एलयूटी) के अनुलग्नक-I में अतिरिक्त मदों को शामिल करना

कट और पॉलिश किए गए कीमती / अर्ध-कीमती / कृत्रिम पत्थर / हीरे, सोने / चांदी / प्लेटिनम / तांबा / कांस्य / जर्मन चाँदी, स्टेनलेस इस्पात जिलेट (सादे और पत्थरों और हीरे के साथ जड़े हुए) के आभूषणों के निर्माण और निर्यात के लिए दिनांक 03.06.1999 को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उत्पादन शुरू होने की तारीख 22.03.2000 थी, वर्तमान पांच साल का ब्लॉक 01.04.2020 से 31.03.2025 तक था और इकाई ने 31.03.2024 तक चालू ब्लॉक के दौरान सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) बनाए रखा था। 2024-24 के लिए वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (एपीआर) के अनुसार, इकाई का कुल निर्यात 20865.65 लाख रुपये था।

2.1 दिनांक 18.09.2024 के पत्र के अनुसार सूचित किया गया कि वे प्रति माह 3 लाख डॉलर के उपहार बॉक्स निर्यात कर रहे थे निर्यात ऑर्डरों में वृद्धि की उम्मीद थी। इस कार्यालय के

सुरेंद्र मलिक

दिनांक 30.01.2024 के पत्र के अनुसार, इकाई को निम्नलिखित उत्पादों की व्यापक सरबंदी की अनुमति दी गई है, जो निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	उत्पाद विवरण	एचएस कोड	मात्रा (लाखों में पैकेट)	मूल्य (रु.लाख में)
1.	आवश्यक तेल और सुगंध	33011990/ 33012951/ 33012924/ 33019090/ 33011990/ 33011200/ 33012990/ 33012400/ 33012950/ 33012942/ 33011990/	0.7	42.00
2.	कपड़ा कपड़ा सामग्री	63049960/ 63049290/ 63079099	2.00	240.00
3.	कमल फूल धूपदान	83062900	0.4	36.00
4.	नकली गहने	71171990	3.00	390

2.2 कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों और कुछ बाहरी कारणों से, इकाई इन उत्पादों का निर्माण शुरू करने में सक्षम नहीं थी। वर्तमान निर्यात आदेश और आगामी त्यौहार सत्र के अनुसार इकाई ने क्लबिंग, पैकिंग और उसके बाद "गिफ्ट बॉक्स" में निर्यात की प्रक्रिया के साथ उपरोक्त उत्पादों को आयात करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

2.3 अनुमोदन समिति ने विनिर्माण की परिभाषा (विदेश व्यापार नीति के अनुच्छेद 9.31) और समेकन के प्रावधान (विदेश व्यापार नीति के अनुच्छेद 6.01 (के)) को ध्यान में रखते हुए उचित विचार-विमर्श के बाद नकली आभूषणों पर रोक लगाते हुए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उपहार बक्सों का निर्यात एचएस 95059090 के तहत होगा।

3 मेसर्स ग्रीन शील्ड प्रोटेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड, मौजूदा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) इकाई को 100% निर्यात उन्मुख इकाइ (Eou) में परिवर्तित करने के लिए, मंजिल नंबर 1 और 2 (नई भवन) ई-1007, फेज- III, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र सांगानेर जयपुर-302022।

समिति को बताया गया कि मेसर्स ग्रीन शील्ड प्रोटेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड ने मौजूदा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र इकाई को 100% निर्यात उन्मुख इकाइ (Eou) में बदलने के लिए आवेदन किया था, जो कि मंजिल संख्या 1 और 2 (न्यू भवन) ई-1007, फेज- III, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र सांगानेर जयपुर-302022 में है। यह निम्नलिखित उत्पादों के विनिर्माण और निर्यात के लिए था:

सुरेंद्र मलिक

1.	कवरऑल	12,000	62034300,62034290,62111200, 62059090
2.	कमीज	12000.00	62059090
3.	पायजामा	2000.00	62034300, 62034290
4.	जैकेट	2000.00	62033200,62033300,62171090
5.	विंटर जैकेट	2000.00	62033200
6.	विंटर कवरऑल	2000.00	62034290
7.	टी-शर्ट	2000.00	61099090
8.	हूडी जैकेट	2000.00	61109000
9.	स्वेटर	2000.00	61109000,61033200

3.2 समिति ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और पाया कि क्षेत्राधिकार सीमा शुल्क जयपुर ने प्रस्ताव की संस्तुति नहीं की है। अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित की मांग करने का निर्णय लिया है:

(i) रीको से स्पष्टीकरण कि क्या इकाई उस औद्योगिक क्षेत्र में स्थान किराए पर दे सकती है, जहां इकाई स्थित है
(ii) रीको से स्पष्टीकरण कि क्या इकाई परिसर में परिधान और मेड अप का उत्पादन कर सकती है
(iii) आवेदक के जीएसटी के निलंबन की पृष्ठभूमि पर जीएसटी, जयपुर से जानकारी।

बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

(सुरेन्द्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त

(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त